

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक...../आ० प्र०, दिनांक...../

सेवा में,

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

विशय :-

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

महाशय,

संभावित बाढ़ 2017 को देखते हुए नाव की क्रय हेतु निविदा सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पकालीन निविदा की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न 05 (पांच) प्रति एवं सी० डी० सहित भेजा जाता है।

अनुरोध है कि कम से कम राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर के दो प्रमुख दैनिक हिन्दी, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

६०/

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक...../आ० प्र०, दिनांक...../

जिला पदाधिकारी, कटिहार / पूर्णियाँ / मधेपुरा / सहरसा / सुपौल / मुंगेर / बेगूसराय / समस्तीपुर एवं दरभंगा को अल्पकालीन निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अपने जिले में प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना एवं आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

६०/

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक 139...../आ० प्र०, दिनांक 04-02-17/

अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / जिला नजारत उप समाहर्ता, खगड़िया / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया एवं नगर पंचायत गोगरी / कार्यालय अधीक्षक, खगड़िया / सभी अंचल अधिकारी, एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला को अल्पकालीन सूचना की प्रति संलग्न करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर निविदा की प्रति सटवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :-

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को निविदा की प्रति के साथ आदेश दिया जाता है कि निविदा की सूचना को व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :-

एन० आई० सी० पदाधिकारी, खगड़िया को अल्पकालीन निविदा सूचना की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि बैबसाईट पर निविदा सूचना अपलोडिंग करेंगे।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

-: अल्पकालीन निविदा सूचना :-

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1137/आ0प्र0 दिनांक-24.04.2017 के निदेशानुसार संभावित बाढ़ 2017 को देखते हुए बाढ़ आपदा से निपटने एवं बचाव कार्य के लिए प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थलों/शिविरों में ले जाने/पहुचाने हेतु नावों की आवश्यकता है। नाव आपूर्ति हेतु इच्छुक फार्मों/प्रतिष्ठानों एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक:-27.05.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग) आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक नाव की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	नाव का प्रकार	साईज	नाव की पूर्ण लकड़ी	लकड़ी का प्रकार	अन्य विवरणी
1	2	3	4	6	7
1.	बड़ी नाव	25'X6'X2'	<ol style="list-style-type: none"> 1. नीचे तरी -तख्ता -मोटाई-1.25 इंच 2. तरी की चौड़ाई-72 इंच (06 फीट) 3. तरी की लम्बाई-20 फीट 4. तरी पर सपोर्टर मोटाई-4"X2" 14 पीस 5. बगली तख्ता की मोटाई -2 इंच -26"X2"X1' (दोनों साइड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सपोर्टर की मोटाई -4"X2" (दोनों साइड) 14 पीस 7. बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग 3"X21.25" (दोनों साईड) 8. रस्सी बांधने वाला खूँटा-3"X2.5" 02 पीस 9. मल्लाह मांग पाटन दोनों साईड -तख्ता 01 इंच नीचे सपोर्टर 4"X2" (दोनों साईड) 05 फीट लम्बाई में। 10. उपरी भाग सपोर्टर (गुरहा) 4"X2" 04 पीस 11. आगे -पीछे मांग की मोटाई-6"X4"X3-5' 02 पीस 	पूर्णरूपेण सखुआ 100%	दर प्रति नाव अंकित होगा
2.	मंझोली नाव	20'X5'X1-9'	<ol style="list-style-type: none"> 1. नीचे तरी -तख्ता -मोटाई-1.25 इंच 2. तरी की चौड़ाई-60 इंच (05 फीट) 3. तरी की लम्बाई-17 फीट 4. तरी पर सपोर्टर मोटाई-3"X2" 10 पीस 5. बगली तख्ता की मोटाई -1 इंच -21"X1.5"X1 (दोनों साइड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सपोर्टर की मोटाई -3"X2 (दोनों साइड) 10 पीस 7. बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग 3"X21.25" (दोनों साइड) 8. रस्सी बांधने वाला खूँटा-3"X2.5" पीस 9. मल्लाह मांग पाटन दोनों साईड -तख्ता 01 इंच नीचे सपोर्टर 4"X2" (दोनों साईड) 05 फीट लम्बाई में। 10. उपरी भाग सपोर्टर (गुरहा) 4"X2" 3 पीस आगे -पीछे मांग की मोटाई-5"X3"X2.5' 02 पीस 	पूर्णरूपेण सखुआ 100%	दर प्रति नाव अंकित होगा

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग बन्द लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

तकनीकी निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता को जिलाधिकारी, खगड़िया के पदनाम से मो0 20,000/- (बीस हजार) रू0 का जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। बीस हजार रूपया की जमानत राशि नगद में भी स्वीकार की जायेगी, जो जिला नजारत कार्यालय में जमा करना होगा, जिसका नाजिर रसीद देय होगी।
2. निविदा के साथ अपने दुकान एवं प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर का निबंधन प्रमाण पत्र एवं फर्म से संबंधित आयकर विभाग को आयकर चुकता /वैट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। TIN नम्बर एवं PAN नंबर की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान/फार्म को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग के द्वारा उनके प्रतिष्ठान/फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है।

वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. निविदा में निविदित नाव का दर यथा वैट एवं सभी करों सहित तथा परिवहन व्यय सहित स्पष्ट रूप से दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें :-

1. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, कि वे आपूर्ति आदेश में अंकित समय सीमा के अन्दर आदेशित संख्या के अनुसार, साईज, एवं गुणवत्ता के अनुरूप नाव की आपूर्ति करनी होगी, जो आदेशानुसार अंचलों को पहुँचाना होगा। इसके लिये कोई परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगी।
2. नाव के निर्माण हेतु अलग से किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगी।
3. नाव में वॉक एवं गोधवा की दूरी समुचित स्थान पर होनी चाहिए। नाव में जोका एवं कांटी पुरी मजबूत के साथ जकड़ा हुआ होना चाहिए तथा गहनी इस प्रकार होगा कि नाव पानी में उतारने पर उसमें पानी प्रवेश न करे। नाव की विशिष्टता की जांच, जांच समिति के तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। जांच में विशिष्टता के अनुरूप पाये जाने वाले नावों की आपूर्तिकर्ता के द्वारा गहनी एवं अलकतरा का कार्य करना होगा। गहनी एवं अलकतरा की दर निविदा में सम्मिलित रहेगी।
4. न्यूनतम दर वाले निविदादाता को क्रय आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर नावों की आपूर्ति करनी होगी।
5. क्रय आदेश निर्गत करने के पूर्व सफल निविदादाता को निविदा निष्पादन के दो दिनों के अन्दर उपर्युक्त शर्तों के आधार पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
6. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
7. आपूर्ति की गई नाव के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट, आयकर या जी0 एस0 टी0 कर की कटौती कर लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
8. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के वेबसाईट <http://khagaria.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,
खगड़िया ।